आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश क्रम संख्या और तारीख	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिपण्णी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर मेदिनीनगर। दाखिल खारिज अपील वाद सं०-xv/12.18.2019 श्रीमती बिंदु देवी ..... अपीलार्थी बनाम श्रीमती प्रतिमा सिंह एवं अन्य तीन - विपक्षी **आदेश** 16.7.19 यह दाखिल खारिज अपील वाद विद्वान अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या -1365/आर - 27/2018-19 में दिनांक 15.10.2018 (गलती से 10.15.2018 दर्शाया गया) को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी /आवेदिका द्वारा ग्राम-बैरिया थाना मेदिनीनगर जिला पलामू के खाता न0-05 प्लाट न0-175 रकबा-0.08 एकड़ भूमि के लिए दायर दाखिल -खारिज का आवेदन अस्वीकृत किया गया है। अपील अंगीकृत करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु सुचना निर्गत की गयी। सूचना प्रामि के बाद भी विपक्षी का न्यायलय में उपस्थित नहीं रहने के कारण अभिलेख एकतरफा सुनवाई हेतु रखा गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को एकतरफा सुना तथा अपीलार्थी के अपील अर्जी एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अपील अर्जी में किया गया दावा का सारांश है की ग्राम-बैरिया का खाता न०-05 प्लाट न०-175 दीपनारायण सिंह द्वारा अर्जित थी। दीपनारायण सिंह का मात्र एक पुत्र राजेंद्र सिंह था जो पिता के निधन के बाद पिता द्वारा छोड़ी गयी उपर्युक्त भूमि के उतराधिकार एवं दखल कब्ज़ा में आया। राजेंद्र सिंह की दो **पत्नीया** (1)वृजवासी कुंवर एवं(2)देवमानी देवी थी। वृजवासी कुंवर का कोई संतान नहीं था।देवमानी देवी से तीन पुत्रियाँ हुई जो इस वाद में विपक्षी सं०01 से 03 है।राजेंद्र सिंह के निधन हो जाने के पश्चात जमींदारी उन्मूलन के पश्चात अन्य भूमि के साथ खाता न०-5 प्लाट न०-175 का जमाबंदी राजेंद्र सिंह की प्रथम पत्नी वृजवासी कुंवर के नाम से कायम हुई जिसकी निःसंतान मृत्यु हो गई।राजेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी देवमानी देवी की भी मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात देवमानी देवी की तीनो पुत्रियाँ (1)	

प्रतिमा सिंह (2) प्रणिता सिंह एवं (3)अनीता सिंह जो वृजवासी कुंवर एवं राजेंद्र सिंह द्वारा अपने पीछे छोड़ी गयी सम्पूर्ण भूमि के उतराधिकार एवं दखल कब्ज़ा में आई | तीनो पुत्रियाँ शादी शुदा है तथा अपने अपने ससुराल में रहने के कारण ग्राम –बैरिया की भूमि का देखभाल या विधिक आवश्यकताओ की पूर्ति के निमित भूमि का विक्रय भी नहीं कर सकती है इसलिए उन्होंने ने आपस में विचार कर विपक्षी सं०-4 जीवन प्रसाद सिंह को पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी (मुख्तारनामा)होल्डर नियुक्त करते हुए मुख्तारनामा दस्तावेज निबंधित कर दिया | कथन है की विपक्षी संख्या 4 (पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर) ने विपक्षी सं०1 से 3 की ओर से क्रेता श्रीमती ममता देवी ,श्रीमती विन्दु देवी (इस वाद के अपीलार्थी) एवं श्रीमती रेनू देवी के पक्ष में तीन विक्रय पत्र क्रमशः विक्रय-पत्र सं० 12855,12856 एवं 12857 सभी दिनांक 25.05.2018 के द्वारा प्रश्नगत खाता प्लाट में रकबा क्रमशः 0.09½ ऐकड़, 0.08 एकड़ एवं रकबा 0.07½ एकड़ भूमि निष्पादित कर दखल कब्ज़ा दे दिया |तीनो क्रेताओं ने अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर के यहाँ दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया जिसपर ममता देवी क नाम से दा० खा० वाद सं०1366/आर 27/2018-19, बिंदु देवी के नाम से दा० खा० वाद सं०1365 (आर27)2018-19 एवं रेनू देवी के नाम से 13 /आर 27 /2018-19 संधारित हुआ | पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी होल्डर जीवन प्रसाद सिंह द्वारा अंचल अधिकारी के यहाँ ममता देवी एवं बिंदु देवी (इस वाद के अपीलार्थी)का केवाला रद्द कर देने से सम्बंधित दाखिल कैन्सीलनामा दस्तावेज सं 4812 एवं 4813 दिनांक 28.8.2018 के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा अपीलार्थी एवं ममता देवी का दाखिल खारिज आवेदन रद्द कर दिया गया है |अपीलार्थी का दावा है की अंचल अधिकारी द्वारा दा०खा० अस्वीकृत करने का कारण क्रेता द्वारा भूमि का जरसम्मन की राशी का भुगतान नहीं किया जाना एवं जरसम्मन कि राशी का भुगतान नहीं करने के कारण मूल केवाला का हस्तांतरण क्रेता को नहीं किया जाना दर्शाया गया है जबकि अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित केवाला में विक्रेता द्वारा जर सम्मन की कुल राशी का केवाला निष्पादन के पूर्व भुगतान पाने का उल्लेख है तथा मूल केवाला अपीलार्थी के पास है| अपीलार्थी का दावा है की अंचल अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओ पर न तो विचार किया गया है और न प्रश्नगत भूमि का हल्का कर्मचारी /अं०नि० एवं स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा स्थलीय जाँच किया गया है मात्र जर सम्मन की राशी का भुगतान नहीं किये जाने के कारण निबंधन कार्यालय से केवाला रद्द करने करने के आधार पर दा० खा ०अस्वीकृत कर दिया गया है जबकि विक्रेता को सक्षम न्यायालय(व्यवहार न्यायालय) से केवाला रद्द कराना चाहिए था | इस पर भी अंचल अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गयाहै | यही नहीं तीसरा क्रेता रेनू देवी के केवाला पर दाखिलखारिज स्वीकार कर लिया गया है अंचल अधिकारी द्वारा दोहरी निति अपनाई गयी है अपीलार्थी का दावा है की अंचल अधिकारी द्वारा उपयुक्त बिन्दुओ पर बिना

विचार किये पारित आदेश जो अवैध है व निरस्त किये जाने के योग्य है
निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख के साथ संलगन है निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है की विक्रेता /पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी होल्डर द्वारा क्रेता /अपीलार्थी द्वारा भूमि का जरसम्मन की राशी का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित केवाला को रद्द कर दिया गया है जिसके अलोक में अंचल अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का दाखिल खारिज का आवेदन रद्द किया गया है |टि०पी०एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार केवाला का पूर्ण (COMPLETE) नहीं होने का कारण में जरसम्मन का भुगतान नहीं देना है | जब विक्रेता ने जरसम्मन का भुगतान नहीं होने के कारण केवाला को रद्द करा दिया है तो ऐसी स्थिति में जब केवाला पूर्ण (COMPLETE) नहीं है तो उक्त केवाला के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत करना विधि संगत नहीं है स्पष्ट है की अंचल अधिकारी सदर मीदिनीनगर द्वारा दिनांक 15 .10 .18 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थियों के अलोक में अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर द्वारा दिनांक 15.10.18 को पारित आदेश बहाल रखा जाता है अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है

लेखापित एव संशोधित

16/7/19

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर

16/7/19

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर मेदिनीनगर